अतिआवश्यक

कार्यालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी, लखनादौन /छपारा जिला–सिवनी

क्रमांक /05 /री. /2025 लखनादौन दिनांक 22 सितंबर 2025

प्रति ,

राजस्व निरीक्षक ,
लखनादौन/छपारा/धूमा/आदेगांव/चमारीखुर्द
जिला–सिवनी म.प्र.।

विषयः– पटाखा लायसेंसधारियों के लिए दुकान हेतु स्थल चयन किये जाने बाबद ।

संदर्भः– कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी का पत्र क्रमांक 1856/री–2/2025 लखनादौन, दिनांक 22 सितंबर 2025

--------------------00----------------------

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि वर्ष 2025 में दीपावली त्यौहार में निर्मित पटाखों की खुदरा बिक्री हेतु विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 {विस्फोटक नियम 1983 के नियम 154(4)} के अनुसार अस्थाई विस्फोटक लायसेंस हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन प्राप्त किये जा रहे हैं जिस हेतु लायसेंस धारियों के लिए दुकान लगाने हेतु स्थल का चयन किया जाना है ।

अतः आप आपके कार्यक्षेत्र जहां पटाखा की दुकाने लगाई जाती हो , वहां दुकान हेतु स्थल का चयन करें जो ग्राम से बाहर स्थित हो और वहां पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा हो ऐसे स्थल का चयन कर ,मौका स्थल जांच प्रतिवेदन मय नजरी नक्शा सहित इस कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत करें। प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट करें कि चयनित स्थल पर कितनी दुकानों का आबंटन किया जा सकता है। आवंटित की जाने वाली दुकानों की संख्या से भी अवगत करावें एवं यदि नया स्थल चयनित किया जाता है तो उसका प्रस्ताव भी भेजना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त जानकारी जिला कार्यालय में प्रेषित की जा सके । **उपरोक्त जानकारी दिनांक 24 सितंबर 2025 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।**

यह सुनिश्चित करें कि चयनित स्थल पर अस्थाई पटाखे दुकाने निम्न शर्तो के अनुरूप स्थापित की जावे :–

1– अतिशबाजी / पटाखा को अज्वलनशील सामग्री के बने शैड में रखा जावें जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित हो कि किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति की पहुंच को निवारित किया जा सके ।

2– प्रत्येक अतिशबाजी /पटाखा दुकाने के मध्य न्यूनतम 03 मीटर की दूरी सुनिश्चित की जावे

3– पटाखा शैड एक–दूसरे के आमने–सामने स्थापित ना किये जावें ।

4– पटाखा शैड के भीतर तेल से जलने वाले लैंपों, गैस लैंपों या खुली बत्तियों का उपयोग वर्जित होगा।

5– एक समूह में पचास से अधिक दुकान स्थापित ना की जावें ।

निर्धारित प्रपत्र

क्रमांक	प्रस्तावित नगर/ग्राम का नाम	प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर जहां पटाखा दुकाने प्रस्तावित की गयी है।	प्रस्तावित स्थल पर दुकानों लगाये जाने की अधिकतम क्षमता की संख्या

संलग्न :– विगत वर्ष में प्रस्तावित स्थलों की जानकारी।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी,
जिला–सिवनी
कार्यपालिक दण्डाधिकारी
तहसील लखनादौन

(सील: कार्यालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी लखनादौन, जिला - सिवनी (म.प्र.))

P.T.O

विगत वर्ष 2024 में प्रस्तावित स्थल की जानकारी

क्र.	थाना	स्थल
01	लखनादौन	**नगर लखनादौन – समनापुर** भूमि खसरा नंबर – 1/1 रकबा 2.615 **क्षमता – लगभग 40 दुकानें ।**
		ग्राम सहजपुरी भूमि खसरा नंबर – **179/3 के अंश भाग में ।** **क्षमता :– लगभग 06 दुकानें ।**
02	आदेगांव	**ग्राम आदेगांव – खैरापति मंदिर के पास तालाब के किनारे ।** भूमि खसरा नंबर – 528/1 रकबा 6.90 हे. में से 0.20हे. भूमि क्षमता :– **लगभग 15–20 दुकानें ।** **ग्राम पाटन** भूमि खसरा नंबर – 560 रकबा 5.92 हे. **में से 0.20हे. भूमि** क्षमता :– **लगभग 8–10 दुकानें ।**
03	धूमा	**ग्राम धूमा – कलचुरी गार्डन धूमा।** भूमि खसरा नंबर – 141 रकबा 13.18 हे. शासकीय भूमि पर **क्षमताः– लगभग 20 दुकानें ।**
		ग्राम धनककडी तालाब के किनारे । भूमि खसरा नंबर – 27 रकबा 3.28 हे. **क्षमताः– लगभग 11 दुकानें ।**
		ग्राम नागनदेवरी भूमि खसरा नंबर – 41/1 रकबा 6.37 हे. शासकीय भूमि पर **क्षमताः– लगभग 20 दुकानें ।**
04	छपारा	**नगर छपारा – बैनगंगा नदी के किनारे गोल्डन टेंपल के पास।** भूमि खसरा नंबर – 795 रकबा 1.00 एवं 796 रकबा 0.39 हे. क्षमताः– **लगभग 50 दुकानें ।**
		भीमगढ छपारा – गंगई बंजर में मुख्य नहर हनुमान मंदिर के बाजू में भूमि खसरा नंबर -- 47 रकबा 12.96 हे.। **क्षमताः– लगभग 5–6 दुकानें।**
		चमारीखुर्दः – ग्राम चमारीखुर्द से डांगावानी वाले मार्ग पर । भूमि खसरा नंबर – 124 रकबा 0.40 हे. । **क्षमता :– लगभग 20–25 दुकानें ।**